भारत सरकार रेल मंत्रालय

लोक सभा 07.08.2024 के अतारांकित प्रश्न सं. 2686 का उत्तर

हाथियों की स्रक्षा के लिए रेल-बैरिकेड

2686. श्री श्रेयस एम. पटेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को हासन संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के अंतर्गत चिकमंगलुरु जिले के सकलेशपुरा तालुका में हाथियों की सुरक्षा के लिए रेल-लाइन के साथ रेल-बैरिकेड लगाने की मंजूरी देने संबंधी अनुरोध की जानकारी है;
- (ख) क्षेत्र में रेल-दुर्घटनाओं के कारण हाथियों की बड़ी संख्या में मृत्यु के बावजूद उक्त बैरिकेड को मंजूरी देने में देरी के क्या कारण हैं तथा प्रस्ताव पर किए गए विचार का ब्यौरा क्या है और क्षेत्र में रेल लाइन के साथ बैरिकेड लगाने की मंजूरी के लिए समय-सीमा क्या है;
- (ग) विगत पांच वर्षों में इस क्षेत्र में हाथियों की मृत्यु की संख्या कितनी है; और
- (घ) रेल-दुर्घटनाओं के कारण हाथियों की मृत्यु को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

हाथियों की सुरक्षा के लिए रेल-बैरिकेड के संबंध में दिनांक 07.08.2024 को लोक सभा में श्री श्रेयस एम. पटेल के अतारांकित प्रश्न सं. 2686 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): भारतीय रेल ने वन विभाग के साथ गहन समन्वय में विभिन्न उपाय किए हैं, तािक रेलगाड़ी परिचालन के दौरान जंगली जानवरों को कोई नुकसान न हो। इन उपायों में पशु कॉरिडोर के चिहिनत स्थलों पर उपयुक्त गित प्रतिबंध लगाना, सतर्कता और जागरूकता के लिए गाड़ी कर्मीदल और स्टेशन मास्टर को अद्यतन सूचना प्रदान करने और संवेदनशील बनाने हेतु संबंधित वन अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करना, रेलवे भूमि के भीतर रेलपथ के आस-पास की वनस्पति और खाद्य पदार्थों को हटाना आदि शामिल हैं। वन विभाग द्वारा हाथी ट्रैकर्स भी स्थापित/लगाए जाते हैं, जो लोको पायलटों को आगे सूचित करने के लिए स्टेशन मास्टर को समय पर सचेत करते हैं।

चिहिनत स्थानों पर हाथियों के आवागमन के लिए अंडरपास और रैंप का निर्माण, रेलपथ के साथ बाड़ का प्रावधान आदि जैसे अन्य उपाय किए गए हैं। एलीफेंट कॉरिडोर में क्रॉसिंग स्थानों पर नवोन्मेषी हनी बी बजर डिवाइस लगाए गए हैं तािक रेलपथ के आस-पास जंगली जानवरों/हाथियों के आवागमन को रोका जा सके। ये डिवाइस हाथियों को रेलपथ से दूर भगाने का कार्य करते हैं और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के विभिन्न स्थानों में 96 हनी बी बजर काम कर रहे हैं। राित्र/कम दृश्यता के दौरान सीधे रेलपथ पर जंगली जानवरों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए थर्मल विजन कैमरा भी विकसित किया गया है, जो जंगली जानवरों की मौजूदगी के बारे में लोको पायलटों को सचेत करता है। हािथयों के प्रवेश को रोकने के लिए रेलपथ के पास वन्य क्षेत्र में सौर प्रणाली वाली एलईडी लाइटें भी लगाई जाती हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान, दक्षिण पश्चिम रेलवे में केवल एक हाथी की मौत की सूचना मिली है।

भारतीय रेल ने चिहिनत कॉरिडोर स्थानों पर रेलपथ पर अथवा आस-पास हाथियों/जंगली जानवरों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित डिस्ट्रीब्यूटेड एकॉस्टिक सेंसर (डीएएस) जिसे एआई सक्षम घुसपैठ संसूचन प्रणाली (आईडीएस) के रूप में भी जाना जाता है, की स्थापना के लिए कार्य शुरू कर दिया है। यह प्रणाली हाथियों/जंगली जानवरों के आवागमन के संबंध में अग्रिम सूचना प्राप्त करने में मदद करती है ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके और लोको पायलटों, स्टेशन मास्टर और नियंत्रण कक्ष को चेतावनी संप्रेषित की जा सके। घ्सपैठ संसूचक प्रणाली (आईडीएस) का विकास और प्रभावोत्पादकता

सतत् प्रक्रिया है और आरडीएसओ इसकी कार्यप्रणाली एवं विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए कार्य कर रहा है।

अब तक, उपर्युक्त प्रणाली को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लगभग 54 मार्ग किमी. में संस्थापित किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रीय रेलों (दक्षिण पश्चिम रेलवे सहित) में 208 करोड़ रु. की लागत पर इस प्रणाली की संस्थापना का कार्य स्वीकृत किया गया है।
